न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02 / 2020

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
मेहराण खां पुत्र अखा खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम लूणो की बस्ती, तहसील व जिला जैसलमेर।		1. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर। 2. ईशाक खां पुत्र अखा खां। 3. मेहरदीन खां पुत्र अखा खां सर्व जातियान मुसलमान सर्व निवासीगण लुणो की बस्ती सम तहसील व जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ना.सं 112 दिनांक 19.01.2013 जिसे तहसीलदार जैसलमेर द्वारा तसदीक किया गया, जिसको आंशिक रूप से निरस्त कर पुनः नये सिरे से नामान्तरण दर्ज करने बाबत्।

उपस्थित :–

1. पैरोपकार राज. तहसीलदार जैसलमेर
2. श्री तरूण कुमार परिहार अपीलांट की ओर से ।
3. श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट संख्या 02 व 03 की ओर से।

निर्णय दिनांक :–23.02.2021

अपीलांट की अपील दर्ज की गई व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नोटिस रेस्पोडेंन्टगण को जारी किये गये। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंन्ट संख्या 02 एवं 03 के पिता अखा खां की कहीं भी कृषि भूमि ग्राम लूणों की बस्ती के खसरा नम्बर 200 / 241 रकबा 32 बीघा एवं खसरा नम्बर 201 / 242 रकबा 43 बीघा कुल रकबा 75 बीघा किस्म बंजड में आयी हुई है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंन्ट सं. 02 व 03 का बराबर बराबर हिस्सा है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट 02 एवं 03 ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का बंटवारा कर उसके अनुसार नामान्तरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जैसलमेर को प्रस्तुत किया। तहसीलदार, जैसलमेर के आदेश क्रमांक राज / 11 दिनांक 19.01.2013 को प्रस्तावित बंटवारा के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर नक्शे में तरमीम हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 में उक्त भूमि का बंटवारा निम्नलिखित अनुसार किया गया–

क्र.सं.	नाम	खसरा नं.	रकबा बीघा	किस्म
1.	ईसाक खां	200 / 241	11.00	बंजड
		201 / 242	14.00	बंजड
			25.00 योग	
2.	मेहरदीन	200 / 241	10.00	बंजड
		201 / 242	15.00	बंजड
			25.00 योग	
3.	मेहराण खां	200 / 241	11.00	बंजड
		241 / 242	14.00	बंजड
			25.00 योग	

हल्का पटवारी ने गलती से निम्न प्रकार बंटवारा अंकित कर नक्शे मे तरमीम की है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर

क्र.सं.	नाम	खसरा नं.	रकबा बीघा	किस्म
1.	ईसाक खां	200/241	11.00	बंजड़
		201/242	14.00	बंजड़
			25.00 योग	
2.	मेहरदीन	201/241/260	10.00	बंजड़
		201/242/261	15.00	बंजड़
			25.00 योग	
3.	मेहराण खां	200/241/255	11.00	बंजड़
		201/242/259	14.00	बंजड
			25.00 योग	

हल्का पटवारी द्वारा नक्शे में तरमीम करते समय रास्ता/कटान को ध्यान में नहीं कर नक्शा ट्रेस में गलत तरीके से तरमीम की है जिससे अपीलांट एवं रेस्पोडेंन्ट सं. 02 एवं 03 को रास्ता/कटान की सुविधा नहीं रही है जिसे दुरस्त किया जाना वांछनीय है। अपील के साथ तरमीम की गई वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित दुरस्ती का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत कर प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट ने विद्यमान तरमीम की जानकारी दिनांक 24.01.2020 को होने पर सम्बधित दस्तावेजात की नकले लेकर दिनांक 21.02.2020 को अपील प्रस्तुत की है व इसमें पारित विलंब का शमन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील समयावधि में शुमार करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस संलग्न पत्रावली की गई। न्यायहित में अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उपयुक्त अनुभव करने पर अपीलांट का धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा है कि हल्का पटवारी के पार्ट पर तरमीम में त्रुटि कारित हुई है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदर, जैसलमेर ने अपने जबाब अपील में स्वीकार किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 ने अपने तर्क में अपीलांट द्वारा चाहे अनुसार तरमीम की शुद्धि किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपील के सभी पक्षकार तरमीम शुद्धि के लिये सहमत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंन्ट संख्या 02 एवं 03 के मध्य हुए विभाजन में रकबे की विद्यमान स्थिति एवं प्रस्तावित स्थिति समान है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अपील में नही चाहा गया है। अपीलाट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 तरमीम शुद्धि का ही अनुतोष चाहते है। अतएव अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण अपास्त करते हुये नामान्तरण नये सिरे से प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार करने व तरमीम करने के साथ भरने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आदेशित किया जाता है। कि प्रस्तावित नजरी नक्शा जिसके अनुसार तरमीम की जानी है, इस निर्णय का भाग रहेगा। उभय पक्ष अपना व्यय वहन करे।

(हरिसिंह मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जैसलमेर